

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-43 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01.शेषराम पुत्र रामनाथ सोनकर नि० सौरवन थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-41/21, 02. कृष्ण कुमार पुत्र शेषराम नि० सीर बनकट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-42/21, 02. राम बकस पुत्र रामनाथ नि० सीर बनकट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-43/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. विजयपाल पुत्र केशवराम नि० धोडहन पुरवा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-29/21, 02. लीलावती पत्नी विजयपाल नि० धोडहन पुरवा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-30/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना खरगपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. आसू तिवारी पुत्र देव नरायन नि० भरिया लवेदपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-54/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. गुड़िया पत्नी सोनू नि० भवाजीतपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-66/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. दशरथ पुत्र हौशला नि० दुल्लापुर थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-81/21, 02. पवन कुमार पुत्र काशीराम नि० दुल्लापुर थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-82/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 25.02.2021

520 ग्राम अवैध गांजा बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अलगू उर्फ साईबाबा पुत्र आलम नि० बालपुरवा मौजा बनगांव थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—31 / 21, धारा 8 / 20, एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा ।

बरामदगी—

01. 520 ग्राम अवैध गांजा ।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 24.02.2021 को थाना कौड़िया के उ०नि० प्रमोद कुमार मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण मे रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को बहद ग्राम रामापुर के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 520 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौड़िया में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० प्रमोद कुमार ।
02. का० आदित्य राय ।
03. का० रूपेन्द्र ।